LETTERS EXCHANGED BETWEEN THE PRIME MINISTERS OF CHINA AND INDIA

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): Sir, on behalf of Shri Jawaharlal Nehru, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Letter dated the 3rd March, 1963 from the Prime Minister of China; and

(ii) Reply dated the 5th March, 1963 from the Prime Minister of India.

[Placed in Library. *See* No. LT-931/63 for (i) and (ii)].

SHRI A. B. VAJPAYEE (Uttar Pradesh): Sir, apart from these two letters, may I know whether any other corespondence has taken place with Peking and if so whether a copy of all that correspondence will also be placed on the Table of the Sabha?

MR. CHAIRMAN: You mean after the 5th March?

SHRI A. B. VAJPAYEE: No, Sir, before that and apart from these two letters, I ask if there has been exchange of communications between New Delhi and Peking and, if so, whether copies of that correspondence will be laid on the Table of the House.

SHRI DINESH SINGH: Sir, correspondence takes place from time to time and we collect them. So far we have been publishing White Papers from time to time, and we certainly will be laying important communications on the Table of the House.

THE INDIAN EMIGRATION (AMENDMENT) BILL, 1963—*continued*

MR. CHAIRMAN: We shall now proceed with the further consideration of the Indian Emigration (Amendment) Bill, 1963. Shri Chordia was speaking and he may now continue his speech.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया: (मध्य प्रदेश) : जो बिल विचारार्थप्रस्तुत है उसके अन्तर्गत हमारे यहां से जो भारतीय प्रवासी विदेशों में जायें उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उनका कुछ नुकसान नही हो, इसी आशय से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। जो मूल विधान है इमिग्रेशन एक्ट, उसके अन्तर्गत कुछ संशोधन हमारे शासन ने चाहे हैं। वैसे अगर इस कानून की अभी तक की व्यवस्था देखी जाय तो ऐसा लगता है कि कानून कानून की जगह तो ठीक है, मगर उसको कार्यान्वित करने में हमारी सरकार असफल रही है, ऐसा मैंने पहले निवेदन किया था।

हमारे भारत के जितने प्रवासी अफ्रीका, लंका, फ़िजी, इंडोनेशिया, बर्मा और जहां कहीं भी विदेशों में है, उनको कितनी कठिनाइयां हैं इसका ज्ञान शासन को भी है। उन के दुख-दर्द की कहानी जब हम सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वह किसी से छिपा नहीं है। वैसे तो हमारी सरकार ने प्रयास कर के इस बात की कोशिश की थी कि दो सौ पौंड के करीब वे ला सकें जो उनकी गाढ़ी कमाई है और जो रात-दिन मेहनत कर के उन्होंने कमाया है, फिर भी उनको लाभ का वह अधिकार भी नहीं मिला। अभी हाल का किस्सा है कि लंका के भारतीयों ने कुछ धन सुरक्षा कोष के लिये इकट्ठा किया था इस विचार से कि भारत की रक्षा के लिये वे कुछ धन दे सकें। वैसे कहने के लिये लंका हमारा मित्र कहा जाता है, परन्तु वह धन हमारे यहां लाने नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति है और हमारे भारतीयों की बड़ी दुर्दशा विदेशों में है। उनको नोटिसेज़ दिये गये है कि फौरन चले जाओ। आने के लिये उनको जहाज मिलते नहीं, पैसेज

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]
मिलता नही और ऐसी स्थिति में जब वे आ नही सकते तो उसका परिणाम यह होता है कि उनको जेलों में डाल दिया जाता है । इसके साथ साथ उनको वहां का सिटिजन माना नही गया है, इसलिये उनको निकलने का नोटिस दे दिया गया, किन्तु उनके बच्चोंको, उनके लड़को को वहां का सिटीजन माना गया है, इसलिये उनको निकलने का नोटिस नही दिया गया है । उसका परिणाम यह हुआ कि माता-पिता जो जेलों में चले गये और लड़के सड़कों पर अवारा फिरते रहे । ऐसी स्थिति हमारे कानून की व्यवस्था ठीक तरह से न करने के कारण हो रही है । इसलिये मैं प्रार्थना करुगा कि इस बारे में भी हमको विचार करना चाहिये और विधान बनाने के साथ ही शासन को इस बात का भी प्रयास करना चाहिये कि विधान को इम्पप्लीमेंट करने वह में सफल हो ताकि विदेशों में जो भारतीयो की दुर्दशा हो रही है वह रोकी जाय ।

जहां तक इस बिल का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूगा कि धारा २२ जो इन्होने अमेंड की है, वह बहुत अच्छी की है । मूल विधान की धारा २२ में यह स्पष्ट है :—

"Nothing in this Chapter shall apply in any case in which a person engages another to accompany him out of India as his personal domestic servant."

यह एक ऐसा अपवाद इस में रखा गया था जिसके अन्तर्गत अगर कोई भी आदमी किसी को डामेस्टिक सर्वेन्ट के रूप में बना करके ले जाय, तो उस पर यह कानून लागू नही होता था और उसका असर यह होता था कि कई भोले आदमी और कई लोभ की वजह से डामेस्टिक सर्वेन्ट के रुप में लोगों के साथ में चले जाते थे । उन में पुरुष भी होते थे और महिलायें भी होती थी और उनकी भयकर दुर्दशा विदेशों में होती थी । कई किस्से इस तरह के सुनने को मिले और अखबारों में देखने को मिले कि भारतीय महिलाएं यहां से गईं और फारस की खाड़ी पार होने के बाद वे ऐसी जगह भेज दी गईं जहां उनकी भयंकर दुर्दशा हुई । इस तरह से यह संशोधन जो इसमें चाहा गया है यह बड़ा अच्छा है ।

मगर उसके साथ-साथ जो और इस में संशोधन चाहे गये हैं उनके सम्बन्ध में मै कुछ कहना चाहता हूं । मूल विधान में ऐसा है कि अभी तक जहाज से जाने वालों के लिये यह कानून बन्धक था और हवाई जहाज से और जमीन से जाने वालों के लिये बंधक नही था । बियांड सी के देशों में यदि कोई जमीन से जाता था तो उस पर कोई रोक नहीं थी । अब हमारी सरकार ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह केवल इस आशय से किया है कि हवाई जहाज से जाने वाले इमिग्रेंट्स पर भी यह कानून लागू होगा । यह अच्छी बात है और उन पर यह कानून लागू किया जाना चाहिये । मगर इसका कारण जो बताया गया है वह केवल यह बताया गया है कि पहले जितने भी इमिग्रेंट्स जाते थे वे जहाज के द्वारा जाते थे और उनके लिये पुराने कानून में व्यवस्था थी । पहले जहाज ही जाने के लिये एकमात्र साधन थे और हवाई जहाज इतने डेवलप नही हुये थे, उसकी वजह से सारी व्यवस्था इस कानून में एसी हुई थी । अब चूंकि लोग आसानी से हवाई जहाज से जाने लगे हैं, इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि एसी व्यवस्था की जाये कि हवाई जहाज से जाने वाले जितने प्रवासी भारतीय हों उन पर भी नियंत्रण लगाया जा सके । जहां तक इस पक्ष का सवाल है, मैं इसका विरोध नही करता, किन्तु साथ ही यह निवेदन है कि आप यह देखिये कि जैसे लोग हवाई जहाज से जा सकते हैं, वैसे ही लोग जमीन से जा सकते हैं । इसलिये उनके लिये भी हमको इस विधान में कोई व्यवस्था रखनी चाहिये । पहले तो गिनती के ही मार्ग ऐसे थे

जिनसे विदेशों में जमीन के मार्ग से जाया जा सकता था । उधर खैबर का दर्रा था और इधर बर्मा की तरफ कुछ रास्ते थे । बाकी जहाज के द्वारा जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था । तो ऐसी स्थिति में संभवत: उस समय ऐसा आवश्यक नहीं समझा गया होगा कि प्रवासियों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाय क्योंकि उस समय वे जमीन के द्वारा नहीं जा सकते थे । मगर जब हम इस कानून को संशोधन के द्वारा ठीक बनाने जा रहे हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इसमें ऐसी भी व्यवस्था करें कि जिससे जमीन के द्वारा जो प्रवासी भारतीय जाने वाले हैं उनके लिये भी हम इस कानून को लागू करें ।

पहले जब बिल प्रस्तुत किया गया था तो मंत्री महोदया ने मुझे बताया था कि धारा ३० इस विधान की ऐसी है जिसके द्वारा जमीन से जाने वालों पर रोक लगाई गई है । मैं धारा ३० सदन के सामने पढ़ कर सुना देना चाहता हूं । उसके दो पक्ष हैं और उसी के अंतर्गत मैं दोनों बातों पर प्रकाश डालूंगा । धारा ३० इस प्रकार है :

"Prohibition of departure by land under an agreement to work for hire in some country beyond the sea."

यह जो बताया जाता है कि जमीन से जाने वालों पर प्रतिबन्ध है या जमीन के द्वारा बियांड सी के देशों में जाने वालों पर प्रतिबन्ध है, तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है :

"(1) The departure by land out of India of any person under, or with a view to entering into, an agreement to work for hire, or when assisted, otherwise than by a relative, so to depart for the purpose or with the intention of working for hire or engaging in agriculture, in any country beyond the sea, is prohibited."

इसमें भी बियांड दो सी का प्रतिबन्ध है । आगे यह है :

"(2) Whoever departs, or attempts to depart, by land out of India in contravention of this section, shall be deemed to have committed an offence under sub-section (1) of section 25."

तीसरा यह है :

"(3) Whoever causes, or assists, or attempts to cause or assist, any person to depart by land out of India in contravention of this section shall be deemed to have committed an offence under sub-section (2) of section 25."

तो यह जमीन के द्वारा भी जो समुद्र पार के देशों में जाने का प्रयास करेगा उस पर प्रतिबन्ध है । मगर जमीन के द्वारा ही, जमीन पर चल कर, अगर कोई माइग्रेट करता है तो उस पर कोई प्रतिबन्ध हमारे इस विधान में नहीं है । आज हमारे भारत की सीमा भारत का हिस्सा हो जाने के पश्चात् इतनी बढ़ गई है कि कई ऐसे मार्ग हो गये हैं जिनसे जमीन के द्वारा प्रवासी जा सकते हैं और नौकरियों के लिये उनको लाभ दे करके ले जा सकते हैं । यह कहा जा सकता है कि हमारा और पाकिस्तान का बार्डर है और उसके लिये वीसा लेना पड़ेगा आदि आदि । मगर केवल पाकिस्तान के बार्डर का सवाल नहीं है । अभी थोड़े दिन पहले सदन में लंडन तक मोटर गाड़ी चलाने का प्रश्न पूछा गया था । तो जब उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं और लंदन तक यात्री बसें चलाने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में यह अपेक्षा करना कि जमीन के मार्ग से प्रवासी नहीं जा सकेंगे, यह बात उचित लगती नहीं । अगर समुद्र के मार्ग से और हवाई मार्ग से जाना अच्छा है तो क्या कारण है कि हम

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

जमीन के मार्ग से जाने वालों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाएं ? अगर हम जहाज से या हवाई जहाज से जाने वालों के लिये व्यवस्था करना चाहते हैं तो फिर यदि हम मोटर से जाने वालों या घोड़े से जाने वालों या खच्चर पर जाने वालों या पैदल चलने वालों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाएं तो यह समझने सरीखी बात नहीं है । इस विषय में मंत्री महोदया से भी मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती । मगर जिस चीज को हम दूरदर्शिता से देख सकते हैं उसके बारे में हम ऐसा काम ही क्यों करें कि जिससे आगे चल कर फिर संशोधन लाने की आवश्यकता पड़े ? ऐसी स्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक है कि विधान में संशोधन करते समय जो व्यवस्था हमने जहाज या हवाई जहाज से जाने वालों पर लागू की है वही जमीन के मार्ग से जाने वालों के ऊपर भी लागू कर दें, अर्थात् जो नियंत्रण हम उन दो मार्गों से जाने वालों पर लगाने वाले हैं उसको तीसरे मार्ग से जाने वालों के ऊपर भी लगाएं और जब तक हम ऐसा नहीं करते यह कानून अधूरा रहेगा । संभवतः आज मंत्री जी को ऐसी अनुभूति नहीं होती है कि जमीन के मार्ग से भी जाना होगा मगर यह निर्विवाद है कि आगे पीछे एक न एक दिन इसकी आवश्यकता प्रतीत होगी । इसी आशय से मैंने संशोधन भी रखा है । सभापति महोदय, हमारे बार्डर की स्थिति ऐसी है कि एक प्रश्न के दौरान मुझे बताया गया था कि कुछ हजार लोगों की ऐसी जायदादें हैं कि जमीन का आधा हिस्सा पाकिस्तान में है आधा हिस्सा हिन्दुस्तान में है—अगर मकान हिन्दुस्तान में है तो उस मकान से लगा कुंआ पाकिस्तान में है, अगर मकान पाकिस्तान में है तो उसकी खिड़की खुलती है हिन्दुस्तान में । तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की व्यवस्था अपेक्षित है ।

जब मेरे संशोधन लिये जायेंगे तब मैं उन पर विचार प्रकट करूंगा और आशा करूंगा कि मंत्री महोदय इस जिद को हटा कर कि चूंकि विरोधी दल की तरफ से संशोधन आया है इसलिये विचारणीय नहीं है, उन संशोधनों को स्वीकार करेंगे ।

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR (Madras): This is a non-controversial Bill and so, I do not think there is much more to say, but I want to know two things. One thing is, this Bill refers only to unskilled personnel and the matter about skilled personnel was also raised in this House. We know that there are many people in this country who are very intelligent people, people of the grades of M.Sc. and Doctors in science, engineering and so on. They go out to other countries, find employment there and want to settle there. When I was recently in the United States, this thing was pointed out to me. Under the immigration laws of the United States, the quota that is allowed for Asians is very small and they do not encourage this but they have a law which says that if a man or woman marries an American, then he or she, though not granted citizenship, cannot be deported. The result is that some of the Indians who went there got married, some of them married negroes who were also American citizens, and settled there. Highly technical personnel who want to settle down there adopt this ruse so that, after many years, they can become American citizens. Mr. Chairman, this Bill does not deal with technical personnel but this is one kind of emigration and the only point that I want to specify here is this, whether we should not do something about this loss of highly technical personnel from our country.

Another matter that I want to raise is this. I am glad, Mr. Chairman, the concession that was given to the diplomatic personnel has been removed in this Bill. When I was in England, I was told about a case. One of the diplomatic personnel in the High

Commissioner's office took a servant there. In England, as you know, there is a law which prescribes minimum salary and the salary that was paid by this gentleman was so low that after one year that servant went to the court and the court was about to award a judgment against the diplomatic person but then something else came to his rescue. As the diplomatic personnel they are supposed to be governed by the laws of the country to which they belong. He got out of the case by putting forward the plea that he was not amenable to English law. The Minister of external Affairs is not here and I understand that the Deputy Minister of Law is going to reply. I do not expect him to have this amount of knowledge to reply to this. I understand that later on a circular was issued saying that some minimum amount should be paid by people in the diplomatic service also who take servants with them. This case left a very bad taste in England and I would like to know what exactly is the rule today in regard to the diplomatic personnel. They are allowed to take with them one or two servants, if I remember aright, and Government pays them the fares by ship. I would like to know what the rule is in regard to the taking out of unskilled personnel outside the country by our diplomatic personnel. Otherwise, Mr. Chairman, this is a very innocent measure and it has our acceptance. I shall be happy if he can throw any light in regard to these matters.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI BIBUDHENDRA MISRA): Mr. Chairman, the Bill has received universal support and as such there is no point in giving a detailed reply to the debate. All the Members have agreed that under cover of section 22 of the Act, as it stands at present, there is illicit emigration and, they have, therefore, favoured amendment or omission of this section.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

All the Members have also agreed that deterrent punishment should be given and one of the proposed amendments deals with giving deterrent punishments also. Some other questions which are not, strictly speaking, relevant to the passage of this Bill have also been raised, namely, the question of doctors and engineers, the very talented persons who go out of India. Madam, if you look at the provisions of the Bill, you will see that they are not applicable to them and, therefore, this point has to be considered separately. Mr. Bhupesh Gupta raised the point, and I think he rightly raised it, when he said that it was poverty which goaded people to emigrate out of India, and he wanted conditions in the country to be created so that people would not be goaded to leave the country. He is right but he also knows very well that this is also the accepted policy and principle of the Government and to that end attempts have been made in the last fifteen years. He himself said that the solution was not easy to find and so I would not speak more about it.

Mr. Chordia raised a point about section 30, in regard to its interpretation. Accepting his interpretation also, I can say that section 30 prohibits the departure to some country beyond the sea. The section talks of departure by land to a place beyond the sea. Therefore, departure by land, or whatever be its form, to any place outside India is prohibited under section 30 of the Act and it is not proposed to legalise it. These, in short are the points raised by hon. Members.

Mr. Chettiar wanted some information. I am sorry I am not competent to give this information. He can ask the External Affairs Ministry about it and he can ascertain it from the External Affairs Ministry—the rule obtaining in the country regarding privileges that are given to the diplomatic personnel which, strictly speaking, is not within the purview and ambit of this Bill.

SHRI T. S. AVINASHILINGAM CHETTIAR: May I point out that this is perfectly within the ambit of this, because it refers to unskilled personnel?

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: It refers to unskilled personnel and unskilled personnel is prohibited from going out of India to any other country by an agreement to serve there. That is prohibited under the law. If the diplomatic personnel were to go out of India certainly they do not come under this Act. They do not come within the purview of this Act. Therefore, that is not a question which should be put to me and that does not come under the provisions of this amending Bill.

About the amendments that have been given notice of by Mr. Chordia, he said that he would speak about them later and I shall reply to them then.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : अभी यह बतलाया गया है और धारा ३० में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि "बियान्ड सी" जाने वालों के ऊपर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। अगर कोई "बियान्ड सी" जाने वाला नहीं है मगर जमीन द्वारा रास्ते-रास्ते खैबर दर्रे होते हुए इटली तक चला जाता है तो उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तो ऐसे मामलों पर सरकार ने इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है।

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: Italy is a land beyond the sea. There is no other country which is not connected with India by sea except Nepal. And between Nepal and India there is no travel restriction. All the other countries are joined by sea. The only land to which we can . . .

AN HON. MEMBER: Pakistan.

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: Pakistan is a place, if you take the strict interpretation of the word, which is connected with India by sea also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Indian Emigration Act, 1922, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2—Addition of references to airport

SHRI V. M. CHORDIA: Madam, I move:

1. "That at page 1, line 10, for the words 'or airport' the words 'or airport or any other place' be substituted."

उपसभापति महोदया, इस बिल की धारा २ में ये शब्द लिखे हुये हैं :

"Throughout the Indian Emigration Act, 1922 (hereinafter referred to as the principal Act), unless otherwise expressly stated, after the word 'port', except in the proviso to clause (cc) of sub-section (1) of section 2, the words 'or airport' shall be inserted."

मेरे संशोधन देने का यह मतलब है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने यह कहा कि जमीन से जाने पर प्रतिबन्ध है लेकिन दूसरा पक्ष इसका कोई और अर्थ मान सकता है। मै जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आप इस ऐक्ट के तहत जहाज से जाने वाले आदमी को अनुमति देना चाहते हैं, आप हवाई जहाज से जाने वाले को अनुमति देना चाहते हैं लेकिन जमीन से जाने वाले को इस एक्ट के मातहत इजाजत देना नहीं चाहते हैं ? दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि "अदर प्लेस" रखने का आशय यह है कि ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां से कोई आदमी जमीन द्वारा जा सकता है। जमीन द्वारा कोई आदमी "बियान्ड सी" जा सकता है,

पाकिस्तान जा सकता है, वह भी इस बिल के अन्तर्गत आ जायें। इसलिए मैंने अपने संशोधन में यह बात रखी है कि जहां आपने जहाज़ और बन्दरगाह की बात रखी है वहां पर " or airport or any other place " इन शब्दों को जोड़ दिया जाये। अगर कोई आदमी जमीन के रास्ते भी जाना चाहे तो सरकार को उसके जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार हो जायेगा। मैं अपने संशोधन द्वारा सरकार को व्यापक अधिकार देना चाहता हूं और इस कानून के अन्तर्गत आप जिन इन्सपेक्टरों को नियुक्त करने जा रहे हैं उनको भी व्यापक अधिकार प्राप्त हों। इसलिए आशा है माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

The question was proposed.

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: Madam, as I have already said, if this amendment is accepted it will mean that emigration by land would also be allowed, and it is not the purpose of the Bill to allow emigration by land. It is also an impossible proposition because when we allow emigration by air route or by sea route we have fixed up some places in the country, some sea ports and some airports through which emigration could take place, that is, to ensure that the provisions of the Act are complied with. If this is accepted it will not only mean that emigration by land which is now prohibited by section 30 will be permitted but it will also mean that you have to keep watch over the entire country. It is an impossible task because you do not know who goes from where and it will be an impossible task. As I have already said, excepting Nepal there is no other place which is not connected with India by sea. Therefore, Madam, our purpose is to restrict emigration, not to enlarge the scope of it and by accepting this amendment the result would be that its scope would be enlarged. Therefore, I am opposed to it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

> 1. "That at page 1, line 10, for the words 'or airport' the words 'or airport or any other place' be substituted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill

Clause 4—Amendment of section 2

SHRI V. M. CHORDIA: Madam, I move:

> 2. "That at page 1, lines 17-18, for the words 'and an aircraft' the words 'an aircraft and a vehicle' be substituted."
>
> 3. "That at page 1, line 20, after the words 'by air' the words 'or by land' be inserted."

The questions were proposed.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उपसभापति महोदया, इस संशोधन को देने का आशय यह है कि जो लाभ हमारे माननीय मंत्री जी हवाई जहाज़ और पानी के जहाज से जाने वाले इमिग्रेन्ट्स को देना चाहते हैं या उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं, वही ज़मीन के द्वारा जाने वालों के ऊपर लाभ या प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। इस बिल में जो ज़मीन द्वारा जाने वाले इमिग्रेन्ट हैं उन पर किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, यह बात मेरी समझ में नही आती है। इस बात को ध्यान में रख कर मैंने यह संशोधन दिया है ताकि जमीन द्वारा जाने वाले इमिग्रेन्ट्स पर भी यह प्रतिबन्ध लगाया जा सके तथा उन्हें लाभ दिया जा सके। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को यह महसूस हो कि इस तरह की स्थिति कभी भविष्य में आ सकती

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

है तब वे उस समय याद करेंगे कि इस तरह का संशोधन आया था ।

जहां तक कन्वेयन्स की परिभाषा का सम्बन्ध है बिल में इस का मतलब वैसल्स, कंट्री-क्राफ्ट और हवाई जहाज से है लेकिन मैंने जो संशोधन दिया है उस में "वेहिकिल" शब्द को भी जोड़ने के लिए कहा है ताकि इसका अर्थ व्यापक हो जाये और कस्टम वालों को भी किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े । अगर सरकार ने मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया तो इससे उसे व्यापक अधिकार प्राप्त हो जायेंगे । इसके द्वारा जो लाभ या प्रतिबन्ध हम लगाना चाहते हैं वह इसके द्वारा हो सकेगा । इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है ।

इस के साथ ही साथ जो लोग जहाज द्वारा जाते हैं उसके साथ ही साथ जमीन द्वारा जाने वाले लोगों पर भी यह कानून लागू हो । इसी वजह से मैंने यह संशोधन दिया है और आशा है माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: Madam, so far as amendment No. 3 is concerned, I oppose it on the same ground as I had opposed amendment No. 1. As far as amendment No. 2 is concerned since restriction of emigration is to take place from an airport or from a sea port, the definition of conveyance given here is quite explicit. Therefore, the addition of the word 'vehicle' is not necessary. We have said that conveyance includes a vessel, a country-craft and an aircraft and that would be sufficient.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

2. "That at page 1, lines 17-18, for the words 'and an aircraft' the words 'an aircraft and a vehicle' be substituted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

3. "That at page 1, line 20, after the words 'by air' the words 'or by land' be inserted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5—Amendment of section 4

SHRI V. M. CHORDIA: Madam, I move:

4. "That at page 2, for lines 2 and 3, the following be substituted, namely:—

"(*i*) in clause (c), for the word 'vessels' the word 'conveyance' shall be substituted;".

5. "That at page 2, line 7, after the words 'by air' the words 'or by land' be inserted."

The questions were proposed.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया उपसभापति महोदया, मेरा इस संशोधन को रखने का आशय यह है कि जैसा कि बिल की धारा ५ में "वैसुल्स" शब्द के बाद "एयरक्राफ्ट" शब्द रखने की व्यवस्था है, वहां पर मेरा संशोधन यह है कि "वैसल्स" शब्द के स्थान पर "कन्वेयन्स" शब्द को रखा जाये । इसका कारण यह है कि धारा ४ में "कन्वेयन्स" का मतलब कंट्री-क्राफ्ट, वेसल्स और एयरक्राफ्ट से होता है । इस बात को ध्यान में रख कर धारा ५ में "वेसल्स" शब्द के बाद केवल "एयरक्राफ्ट" शब्द का लिखना उचित मालूम नहीं देता है । मेरा खयाल है माननीय मंत्री जी ने जिन्होंने

इस पर पहले गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया होगा अब विचार करके इस संशोधन को स्वीकार करने का कष्ट करेंगे ।

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: The reasons are the same and I am opposed to them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

4. That at page 2, for lines 2 and 3, the following be substituted, namely:—

"(*i*) in clause (*c*), for the word 'vessels', the word 'conveyance' *shall be substituted;*".

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

5. "That at page 2, line 7, after the words 'by air' the words 'or by land' be inserted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6—Amendment of section 9

SHRI V. M. CHORDIA: Madam, I beg to move:

6. "That at page 2, in line 10,—

(a) after the words 'and such airports' the words 'and such other places' be inserted; and

(b) after the words 'and airports' the words 'and such other places' be inserted."

उपसभापति महोदया, ये दोनों संशोधन देने का आशय यही है कि एयर पोर्ट्स के अलावा दूसरे स्थानों पर जहां भी शासन चाहे

वहां प्रोटेक्टर को नियुक्त करे और जो भी प्रतिबंध लगाना हो, वह लगाये । यद्यपि शासन की पालिसी संशोधन स्वीकार न करने की है, फिर भी मैं अपने अमेंडमेंट प्रस्तुत करता हूं ।

The question was proposed.

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: I am opposed to it, Madam, on the same ground that it will jeopardise departure by land.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

6. "That at page 2, in line 10,—

(*a*) after the words 'and such airports' the words 'and such other places' be inserted; and

(*b*) after the words 'and airports' the words 'and such other places' be inserted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7—Amendment of section 15

SHRI V. M. CHORDIA: Madam, I beg to move:

7. "That at page 2, line 13, for the words 'and airports' the words 'and airports and other places' be substituted."

उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि लेंड के लिये भी "बियांड दी सी" में हो जायेगा, लेकिन लेंड के लिये कोई प्रतिबंध आप का इस में है नहीं । फिर आप की परिभाषा कहां से यह हो गई कि पाकिस्तान को बियांड सी रखा जाता है । खाली नेपाल को लेंड को परिभाषा में माना जायेगा और बाकी जितने

[Shri V. M. Chordia.]

भी देश हैं, चीन, रूस, ईरान वग़ैरा, सब बियांड सी माने जायेंगे । यह परिभाषा हमें देखने को कहीं आई नहीं । अगर कानून में कहीं ऐसी परिभाषा आई हो तो उसका मंत्री जी उल्लेख कर दें । वास्तव में आप जिस भ्रम में हैं उस से आप को कष्ट होगा और जनता को भी कष्ट होगा । इसी आशय से मैंने यह संशोधन मूव किया है ताकि उसको कुछ राहत मिल सके ।

The question was proposed.

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: The amendment is of the same nature and I am opposed to it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

7. "That at page 2, line 13, for the words 'and airports' the words 'and airports and other places' be substituted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

Clause 10—Amendment of section 24

SHRI V. M. CHORDIA: Madam, I beg to move:

8. "That at page 2, line 20, for the words 'or a journey on an aircraft' the words 'or a journey on an aircraft or by any other conveyance' be substituted."

उपसभापति महोदया, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने माननीय मंत्री महोदय से नम्र निवेदन भी किया कि कृपा करके यह बतलाइये कि यह पाकिस्तान बियांड सी कैसे कहा जायेगा, यह बर्मा बियांड सी कैसे कहा जायेगा, यह चाइना बियांड सी कैसे कहा जायेगा यह ईरान बियांड सी कैसे कहा जायेगा, यह रशिया बियांड सी कैसे कहा जायेगा, यदि किसी को तासकंद जाना हो तो उसे बियांड सी कैसे कहा जायेगा । ऐसी कहीं कानून में परिभाषा हो, ऐसा कहीं स्पष्टीकरण हो तो वह देने का कष्ट करें, यह मैंने पहले निवेदन किया था, लेकिन वह दिया नहीं । ऐसा लगता है कि लकीर के फ़कीर बनने की हमारे शासन की आदत चली आ रही है कि जैसा सेक्रेटरीज ने समझा दिया उसी तरह से करेंगे । मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें यह बताने की कृपा करें कि आपके जनरल क्लाजेज एक्ट में अथवा अन्य स्थान पर कहां यह परिभाषा है कि किन कंट्रीज को बियांड सी माना जायेगा और किन को बियांड सी नहीं माना जायेगा । आखिर कुछ स्पष्ट करने का कष्ट करें नहीं तो मैं ऐसा समझता हूं कि लकीर का फकीर बन करके जैसा किसी ने बता दिया उसी हिसाब से करना हमारे शासन ने निश्चय कर लिया ।

The question was proposed.

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: Madam, it is more in the nature of insinuation which I repudiate. My friend has a right to give an interpretation, but he must also give me credit that I was also a practising lawyer. I had been. Taking the strictest interpretation, any place that can be gone into by sea is a place beyond the sea. That is the simple interpretation. Therefore, even if you cannot go to East Pakistan by sea, you can go to West Pakistan by sea, but for the purpose of that country you cannot separate East Pakistan and West Pakistan. Even if any portion of Pakistan cannot be gone into by sea, the whole of Pakistan would come under 'sea'. Therefore, it is not correct that what he has said is the only interpretation. I accept the strictest interpretation as any place to which you can travel by sea. It does not matter whether you go by land or not. Any place where you travel by land is also prohibited under section 30. That has been the interpretation which has been given

by me from the beginning. On the same ground I am opposed to this amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

8. "That at page 2, line 20, for the words 'or a journey on an aircraft' the words 'or a journey on an aircraft or by any other conveyance' be substituted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 *was added to the Bill.*

Clauses 11 *to* 14 *were added to the Bill.*

Clause 15—*Amendment of section* 29

SHRI V. M. CHORDIA: Madam, I beg to move:

9. "That at page 4, line 28, for the words 'or aircraft' the words 'or aircraft or any other conveyance' be substituted."

उपसभापति महोदया, मैं पुन: निवेदन करता हूं कि जैसा इंटरप्रिटेशन माननीय मंत्री जी ने दिया कि वे जहाज से जहाँ जा सकते हैं, वह बियाँड दी सी माना जायेगा क्या हिन्दुस्तान में जहाँ जहाज से जा सकते हैं उसको बियाँड सी माना जायेगा ? वह यहाँ के नेटिव के लिये नहीं माना जायेगा, बाहर वालों के लिये माना जायेगा । किन्तु किसी को यदि यहाँ से तासकन्द जमीन के रास्ते जाना हो, तो वह जमीन के रास्ते जा सकता है । इसी प्रकार तिब्बत जाने वाला पहाड़ के रास्ते से जा सकता है, अफ़गानिस्तान जाने वाला पहाड़ के रास्ते से जा सकता है जो कि जमीन से घिरा हुआ है । उसको बियाँड सी कैसे माना जायेगा और उसके लिये क्या प्रतिबन्ध है ? उसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसी आशय से यह संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है ।

The question was proposed.

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: Madam, I would accept this amendment, but not for the reasons given by Mr. Chordia. I would accept it on the ground that even though section 30 prohibits going by land, there may be some person who may travel by land. So, it is imperative that the officers should have power, if any such case comes to their notice, to search or to detain the same vehicle. Therefore, I would accept this amendment, but not on the reasoning adduced by Mr. Chordia.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

9. "That at page 4, line 28, for the words 'or aircraft' the words 'or aircraft or any other conveyance' be substituted."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 15, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 15, *as amended, was added to the Bill.*

Clause 16—*Amendment of section* 30A

SHRI V. M. CHORDIA: Madam, I move:

10. "That at page 4, line 32, after the words 'by air' the words 'or by land' be inserted."

मैं तो फिर भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी दलील के आधार पर ही मेरा संशोधन स्वीकार

[Shri V. M. Chordia.]
किया। मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है। जब किसी आदमी को यह ज़िद हो जाती है कि किसी को ठीक से देखेंगे नहीं तो फिर क्या चारा है। पीलिया के मरीज को हर चीज़ पीली ही नज़र आती है। तो कांग्रेस दल के मंत्री जो हैं उनको यही नज़र आता है कि विरोधी दल ने कोई चीज रखी है तो वह गड़बड़ ही होगी। आप उसका जवाब बराबर देना चाहते नहीं हैं, इंटरप्रिटेशन उसका करना चाहते नहीं हैं। वह एक लीडिंग लाइयर हैं, मैं भी मामूली लाइयर रहा हूं और प्रेक्टिस मैंने भी की है। चूंकि यह नहीं है, यों नहीं है इसलिये यह ठीक नहीं है, बुरी है, यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। एक संशोधन को स्वीकार करने से कोई लाभ नहीं है। जो अपना आबजेक्टिव है उसके लिये मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे पाये। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि संशोधन को स्वीकार करके उन्होंने गलती ही की है क्योंकि जो उसका स्केलेटन था, जो उससे काम लेने का इरादा था वह उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो मेरी प्रार्थना है कि आगे का यह संशोधन भी स्वीकार करके उसे ठीक ढंग का बनाने का कष्ट करें और आशा है कि मंत्री जी अभी भी इस आखिरी संशोधन के ऊपर विचार करेंगे।

The question was proposed.

श्री महाबीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश): क्या आपको नहीं मालूम कि आपने प्रैक्टिस की या नहीं की, आपने "भी" का इस्तेमाल किया ?

श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया: यह आपके ख्याल के लिये किया है।

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: I have already answered the point that it is the purpose of the Act to stop emigration by land. By accepting the amendment or the amendments of Mr. Chordia—by land and all that—it would mean as if we are contemplating to widen the scope of the Act and to permit emigration by an Act. So, it is a question of principle. For that reason I have opposed all the amendments except amendment No. 9. As regards amendment No. 9, it is necessary to include the words "any other conveyance" there because it may be just possible that somebody in contravention of section 30 may proceed in any other conveyance. That 's why on a different ground I accepted it and not on the ground adduced by him, because if I accept his ground it would mean that the prohibition we have enjoyed so far as regards emigration would be unacceptable now and would be relaxed. Therefore, I opposed all the amendments, and on the same ground I am opposed to amendment No. 10 also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

10. "That at page 4, line 32, after the words 'by air' the words 'or by land' be inserted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 16 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 1 was added to the Bill.

Enacting Formula

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: Madam, I move:

11. "That at page 1, line 1, for the word 'Thirteenth' the word 'Fourteenth' be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: Madam, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was proposed.

श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौड़िया: उपसभापति महोदया, मैं इस पर बोलना चाहता हूं। यह जो बिल अब करीब करीब पास हो गया है उसके लिये निवेदन है पहला प्वाइंट तो मेरा यह है कि चूंकि आज इसमें संशोधन हुए हैं इसलिये इसको आज पारित नहीं किया जा सकता। अपने राज्य सभा के नियमों के अन्तर्गत ऐसा है, रूल्स में यह देख लीजिये, कि जिसमें अमेंडमेंट हो जाता है उसको उसी दिन विचारार्थ लेकर पास नहीं किया जा सकता है। दूसरा निवेदन है कि उस नियम को रिलैक्स करना चाहें तो ऐसा कोई प्रतिबन्ध है नहीं।

उपसभापति : ये फार्मल अमैंडमेंट्स हैं।

श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया: उस नियम के अन्तर्गत उपसभापति महोदया आपको अधिकार भी है कि अगर माइनर अमैंडमेंट्स हों तो उसको कंडैम करके इसे पास करने की अनुमति दे दें। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है मगर यह एक टेक्निकल बात जरूर है कि जिस रोज संशोधन हों उस रोज बिल पारित नहीं हो सकता। अगर आज ही यह पारित करना है तो मैं माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सब से पहला मेरा निवेदन यह है कि जितने इमिग्रेंट्स यहाँ से जाते हैं और हमने विधान में उसके लिये जो प्रोटेक्टर्स बनाये हैं वे इसी आशय से बनाये हैं कि हमारे यहाँ के जितने भारतीय प्रवासी हों उनकी स्थिति खराब न हो, उनके राइट्स ठीक तरह से सुरक्षित रहें और विदेशों में उन पर अत्याचार भी न हो और मेहनत करके कमाई जो करे उसका ठीक तरह से वह उपयोग कर सकें। इसी आशय से हम ने प्रोटेक्टर्स वगैरह नियुक्त करने की व्यवस्था की है। इस कानून को हमने बनाया। अब जो स्थिति देश में आई है उसका वर्णन किया गया है। हमारी जितनी भी अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता हो, लेकिन प्रवासी भारतीयों की विदेशों में बड़ी दुर्दशा हो रही है। तो इस कानून को अमल में लाने के वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाय कि जितने भी हमारे प्रवासी भारतीय हों वे मेहनत की कमाई का पैसा ला सकें, उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती न हो। इस बात का विशेष ध्यान रखने की या इस बात को करने की आवश्यकता है।

दूसरा निवेदन यह है कि भारतवर्ष में भूमि कम है और जन संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में जब कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है यह निवेदन करूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का प्रयास किया जाय कि जिस देश में भूमि अधिक है और जनसंख्या कम है, जिस देश में उद्योग अधिक हैं और जहाँ मजदूरों की और टेक्निकल आदमियों की आवश्यकता है, वहाँ हमारे प्रवासी भारतवासी जो हों उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहें। इस बात का इस विभाग को प्रयत्न करना चाहिये जिस कि हमारे यहां की जमीन पर जो जन संख्या का अधिक भार पड़ गया है वह कम हो। यह हमारी उदारता के कारण भी बढ़ता जा रहा है। तिब्बत में अगर जगह नहीं है तो हमारे यहाँ है, पाकिस्तान में जगह नहीं है तो हमारे यहाँ है। आज हमारे यहाँ इस तरह की मनोवृत्ति है, मैं इसको कोई बुरी मनोवृत्ति नहीं कहता, यह उदारता की मनोवृत्ति है

[श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया:]

ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि अगर हमारे यहाँ के भारतीय विदेशों में जाकर बैठना चाहें तो इसके लिये उच्च स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर, विभाग को काम करना चाहिये जिससे कि जहाँ जनसंख्या कम है और भूमि अधिक है, उद्योग अधिक हैं और जन संख्या कम, वहाँ हमारे लोग बस सकें और वे हमारे यहाँ की संस्कृति को ले जा सकें, हमारे यहाँ से धर्म को ले जा सकें, हमारे यहां की विचारधारा को वहाँ ले जा कर फैला सकें और हमारे भार को कम कर सकें। यह प्रयत्न करने के लिये भी मैं निवेदन करूंगा।

. . .

. . . .

شری عبدالغنی (پنجاب) : بہت اچھا ڈپٹی چیرمین صاحبہ - میں آپکے دوارا اپنے آنریبل منسٹر سے درخواست کروں گا کہ وہ آج بل کو نہ پاس کرایں - وہ میں کیوں کہتا ہوں - وہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ذرا اور گہرائی میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ منسٹر چوریا کے جو ایملڈمنٹس ہیں ان سے کافی ہیلپ ہوگی سرکار کو بھی اور اپنے دیش کو بھی کیوں کہ ایسے بہت سے ملک ہیں جن کے راستے جو ہیں وہ خشکی سے باآسانی ملتے ہیں اور بعض کے تو صرف خشکی سے ہی ملتے ہیں سمندری جہاز سے نہیں-ہاں ہوائی جہاز سے البتہ مل سکتے ہیں - اگر سمندر کے ذریعہ جو جانے والے ہیں ان پر یہ رکھتے ہیں، تو جو پیدل جا سکتے ہیں اور جائینگے ان پر بھی جیسا کہ چوریا صاحب نے مختلف جگہ پر سرکار سے درخواست کی ہے ایسا کیوں نہیں رکھتے - تو آج اس کو سرکار پاس نہ کرائے - وہ پھر سے سوچ لیں کہ آخر اس میں کوئی آسانی ہوتی ہے کہ نہیں -

نمبر ۲ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تازہ تازہ وقت میں انڈونیشیا میں، سنگاپور میں، لنکا میں اور کئی اور دیشوں میں، افریقہ میں خاص طور پر جنوبی افریقہ میں، بھارت واسیوں کے ساتھ جو برا سلوک ہوا ہے وہ کافی گمبھیر ہے، اس پر وچار کرنے کی ضرورت ہے - کہیں دنیا میں یہ بات غلط نہ لے لیجائے کہ اگر کسی ہماری بھول سے چائنا کے معاملہ میں ہم تھوڑا سا ناکامیاب ہو گئے تو اس سے ہمارے بھارت کا جو مان ہے، ہمارے بھارت کی جو شان ہے اسکو کوئی بٹہ لگ گیا ہے - ہمیں ڈیموریلائزڈ نہیں ہونا چاہیئے اور کوشش کرنی چاہیئے کہ ہمارے جو بھی بھارتیہ اس وقت ودیش میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے برما میں ہیں، چاہے سنگاپور میں ہیں، چاہے ملایا میں ہیں، کہیں بھی ہیں، انڈونیشیا میں ہیں یا جنوبی افریقہ میں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو - اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرونگا کہ آج سرکار جس ڈھنگ سے سوچ رہی

ہے وہ قابل مبارک باد ہے کہ وہ اپنی ہر تروٹی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں -

چونکہ تھرڈ ریڈنگ کا اسٹیج ہے، پہلا موقع نہیں ہے، اس لئے میں صرف اتنی ونتی کرتا ہوں کہ اسے آج پاس نہ کرائیں - اس پر اور وچار کر لیجئے تاکہ آپ کو بار بار سنشودھن نہ لانا پڑے اور اس سے آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو ہاؤس کا بھی وقت ضائع نہ ہو اور کافی بوجھ پبلک فنڈ پر نہ پڑے -

†[श्री अब्दुल ग़नी (पंजाब) : बहुत अच्छा डिप्टी चेयरमैन साहिब । मैं आपके द्वारा अपने आनरेबिल मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि वह आज बिल को पास न करायें । वह मैं क्यों कहता हूं ? वह इसलिये कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि अगर वह जरा और गहराई में जायेंगे तो देखेंगे कि मि० चौरड़िया के जो अमेंडमेंट्स हैं उनसे काफी हेल्प होगी सरकार को भी और अपने देश को भी, क्योंकि ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिनके रास्ते जो हैं वह खुश्की से बाआसानी मिलते हैं और बाज के तो सिर्फ खुश्की से ही मिलते हैं । समुद्री जहाज से नहीं, हां हवाई जहाज से अलबत्ता मिल सकते हैं । अगर समुद्र के जरिये से जो जाने वाले हैं उन पर यह रखते हैं, हवाई जहाज के जरिये जो जाने वाले हैं उन पर यह रखते हैं, तो जो पैदल जा सकते हैं और जायेंगे उन पर भी, जैसा कि चौरड़िया साहब ने मुख्तलिफ जगह पर सरकार से दरख्वास्त की है, ऐसा क्यों नहीं रखते ? तो आज इसको सरकार पास न कराये । वह फिर से सोच लें कि आखिर इसमें कोई आसानी होती है कि नहीं ।

नम्बर दो जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि ताजा-ताजा वक्त में इंदोनेशिया में, सिंगापुर में, लंका में, और कई और देशों में, अफ्रीका में, खास तौर पर जनूबी अफ्रीका में भारतवासियों के साथ जो बुरा सुलूक हुआ है वह काफी गंभीर है, उस पर विचार करने की जरुरत है । कहीं दुनियां में यह बात गलत न ले ली जाये कि अगर किसी हमारी भूल से चाइना के मुआमले में हम थोड़ा सा नाकामयाब हो गये तो उससे हमारे भारत का जो मान है, हमारे भारत की जो शान है, उसको कोई बट्टा लग गया है । हमें डिमोरेलाइज्ड नहीं होना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि हमारे जो भी भारतीय इस वक्त विदेश में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे बर्मा में हैं चाहे सिंगापुर में हैं, चाहे मलाया में हैं, कहीं भी हैं, इन्डोनेशिया में हैं या जनूबी अफ्रीका में हैं, उनके साथ अच्छा सुलूक हो इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि सरकार आज जिस ढंग से सोच रही है वह काबिले मुबारकबाद है कि वह अपनी हर त्रुटी को दूर करने की कोशिश करते हैं ।

चूंकि थर्ड रीडिंग का स्टेज है, पहला मौका नहीं है, इसलिये मैं सिर्फ इतनी विनती करता हूं कि इसे आज पास न करायें इस पर और विचार कर लीजिये ताकि आपको बार बार संशोधन न लाना पड़े और इससे आपका भी वक्त जाया न हो, हाउस का भी वक्त जाया न हो और काफी बोझा पब्लिक फंड पर न पड़े ।]

SHRI BIBUDHENDRA MISRA: Madam, I have nothing more to add excepting what I have already said. I can only tell the House that all the relevant Acts, similar Acts in other

†[ ] Hindi transliteration.

[Shri Bibudhendra Misra.]

countries were also taken into consideration while drafting this Bill We have taken provision to see that it becomes a wholesome Act. and we have also taken into consideration a judgement by the Madras High Court which held that deterrent punishment is necessary in such cases, and, therefore, this Bill also provides for deterrent punishment which hitherto was not a part of the Act.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill as amended, be passed."

The motion was adopted.

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1963

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI S. V. RAMASWAMY): Sir, I move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1962-63 for the purposes of Railways, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

I may say, by way of introduction, that the Supplementary Demands as initially framed with reference to the position as assessed towards the end of December, 1962 for the purpose of the Revised Estimates, consisted of nine Demands, of which three covering Charged expenditure only were merely for information. Based on the latest information which has since been obtained from the Railways, the Supplementaries for the Charged expenditure under Demands Nos. 8 and 9—Ordinary Working Expenses—Operation Other than Staff and Fuel, and Miscellaneous Expenses, respectively—are not now required, and the requirement of additional funds under the Voted portion of Demand No. 16 —Open Line Works—Additions—has also been reduced by three crores, viz., from approximately Rs. 11·95 crores indicated in the booklet to approximately Rs. 8·95 crores. These charges have been incorporated in the Appropriation Bill. The assessment of the requirement of additional funds with reference to the latest position, as the House will appreciate, is all to the good and limits the demand for funds strictly to the requirements on latest forecasts.

The reduction of the Voted portion of the Supplementary under Demand No. 16 is mainly under the Suspense heads, Stores and Manufacture and to some extent under Works, and takes note of the latest anticipations in regard to deliveries of stores and materials against supply orders etc.

As has also been explained in the booklet on the Supplementary Demands, the impact of the emergency on the Railways' Budget could not be covered in the Supplementary Demands presented to, and voted by Parliament, in November, 1962, as even a rough assessment at that stage was not feasible. The Supplementary Demands now presented cover this effect also. It may be mentioned that despite the increases in the Revenue Working Expenses covered by these Supplementary Demands, the overall net Railway Surplus for the current year (1962-63) is expected to be maintained at the original Budget level.

The question was proposed.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Madam Deputy Chairman, just one word. When we are discussing this matter, I would like to know what has happened to the promise that the Home Minister gave in this House with regard to the cases of railwaymen who were alleged to have participated in or otherwise connected with the strike that took place in 1960 We were given to understand